उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 27.08.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तारः-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एंव परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 26.08.2023 को श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 आशिक अली के नेतृत्व में गठित हुई प्रथम पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त मूलचन्द्र पुत्र स्व0 कल्ला वर्मा उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम उटियां थाना कबरई जनपद महोबा को एक प्लास्टिक के झोले मे 18 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ उटिया तिराहा से पीएनसी जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 अर्जुन पाण्डेय के नेतृत्व में गठित हुई द्वितीय पुलसि टीम ने 01 नफर अभियुक्त चेतराम पुत्र छत्ता अहिरवार उम्र करीब 54 वर्ष निवासी ग्राम बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा को 17 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ रोशन सिंह बदन सिंह महाविद्यालय के पास ग्राम बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से अवैध शराब की हुई बरामदगी के आधार पर थाना कबरई में मु0अ0सं0 219/2023 व मु0अ0स0 220/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीमः–

(प्रथम पुलिस टीम) 1. उ0नि0 आशिक अली
2. हे0का0 रामकरन

(द्वितीय पुलिस टीम) 1. उ0नि0 अर्जुन पाण्डेय
2. कां0 अंकित पटेल

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. मूलचन्द्र पुत्र स्व0 कल्ला वर्मा उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम उटियां थाना कबरई जनपद महोबा (कब्जे से 18 क्वार्टर नाजायज देशी शराब बरामद)
2. चेतराम पुत्र छत्ता अहिरवार उम्र करीब 54 वर्ष निवासी ग्राम बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा। (कब्जे से 17 क्वार्टर नाजायज देशी शराब बरामद)

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 27.08.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तारः-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद में अवैध जुआ/सट्टा के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 26.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में श्री गणेश कुमार, थानाध्यक्ष चरखारी द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सुभाष चन्द्र तिवारी मय हमराह उ0नि0 रावेन्द्र कुमार पाण्डेय, का0 जयदीप पटेल , का0 चंदन पांचाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला खंदिया हनुमान मन्दिर के समीप दबिश देकर सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. योगेश अहिरवार पुत्र छिद्दी अहिरवार उम्र 20 वर्ष 2.सिद्ध गोपाल पुत्र वंशी रैकवार उम्र 32 वर्ष 3.रोहित रैकवार पुत्र राजकुमार रैकवार उम्र 24 वर्ष समस्त निवासीगण मोहल्ला खंदिया कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से मौके पर मालफड़ 9100/- रु0, 52 अदद ताश पत्ता व जामा तलाशी 4900 रु0 कुल 14000/- रुपया बरामद किया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी व उनके कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चरखारी में मु.अ.सं. 170/23 धारा 13 G ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 सुभाष चन्द्र तिवारी

2.उ0नि0 रावेन्द्र कुमार पाण्डेय

3. का0 जयदीप पटेल 4. का0 चंदन पांचाल थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-

1. योगेश अहिरवार पुत्र छिद्दी अहिरवार उम्र 20 वर्ष 2. सिद्ध गोपाल पुत्र वंशी रैकवार उम्र 32 वर्ष 3.रोहित रैकवार पुत्र राजकुमार रैकवार उम्र 24 वर्ष समस्त निवासीगण मोहल्ला खंदिया कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगीः-

मालफड़ 9100 रु0, 52 अदद ताश पत्ता व जामा तलाशी 4900 रु0 कुल 14000 रुपया

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे पर एस0टी0एफ0 की टीम ने पकड़ा 01 कुन्तल, 84 किलो, 100 ग्राम अवैध गांजा:-

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से उड़ीसा आसाम प्रान्त से उ0प्र0 के विभिन्न जनपदो मे अवैध गाजा की तस्करी के सम्बन्ध में सूचनाए प्राप्त हो रही थी जिसके लिए एस0टी0एफ मुख्यालय से मय उप निरीक्षक जावेद आलम सिद्दिकी मय हमराही हे0का0 चन्द्रप्रकाश मिश्रा हे0का0 कबीन्द्र साहनी हे0का0 मृत्युन्जय सिंह मु0आ0 कमाण्डो आफताब मु0आ0 चालक राकेश मिश्रा मय वाहन सरकारी **UP32BG**4486 टाटा सफारी के वास्ते पतारसी सुरागरसी हेतु एस0टी0एफ0 मुख्यालय से रवाना होकर जनपद इलाहाबाद(प्रयागराज) होते हुए जनपद महोबा के थाना खन्ना क्षेत्र अन्तर्गत पतारसी सुरागरसी मे मामूर थे कि भ्रमण पतारसी के दौरान मुखबिर खास ने बताया कि एक टाटा ट्रक जिसका नम्बर **UP82T6391** है जो उड़ीसा से चल कर अबैध गाजा लेकर आ रहा है जो बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे होते हुए हरियाणा मे किसी को अवैध गाजा देने के लिए आ रहा है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके दिनांक 26/27.08.2023 की रात्रि को खन्ना टोल प्लाजा के लिए रवाना हो गये खन्ना टोल प्लाजा के पूर्व दिशा में लगभग 300 मीटर आगे से अभियुक्त **1.**विनय कुमार पुत्र सूरजभान निवासी ग्राम चिलमापुर थाना सकीट जनपद एटा उ0प्र0 को हिरासत में लिया गया था जिसके कब्जे से. कुल 01 कुन्टल 84 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त 1. विनय कुमार पुत्र सूरजभान **2.** जीतू उर्फ जीतेन्द्र पुत्र अज्ञात उपरोक्त के विरूद्ध थाना खन्ना में मु.अ.सं.- 86/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विनय कुमार पुत्र सूरजभान निवासी ग्राम चिलमापुर थाना सकीट जनपद एटा उ0प्र0

बरामदगी का विवरण:- कुल 01 कुन्टल 84 किलो 100 ग्राम बरामद होना

गिरफ्तार करने वाली S.T.F. टीम-

1.उप निरीक्षक जावेद आलम सिद्दिकी
2.हे0का0 चन्द्रप्रकाश मिश्रा 3.हे0का0 कबीन्द्र साहनी 4.हे0का0 मृत्युन्जय सिंह
5.मु0आ0 कमाण्डो आफताब 6. कां0 चालक राकेश मिश्रा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 350 ग्राम अवैध सूखे गांजे के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध मादक पदार्थों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 27.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा गठित की गयी उ0नि0 राम किशन यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर एक नफर अभियुक्त भूरा यादव पुत्र मठनू यादव उम्र 62 वर्ष नि0मु0 इन्द्रानगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा को कानपुर रोड भारत धर्म कांटा के सामने बहद कस्वा व थाना कबरई के पास से गिरफ्तार किया गया,अभियुक्त के कब्जे से 350 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कबरई में मु0अ0सं0 221/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम भूरा यादव पुत्र मठनू यादव उम्र 62 वर्ष नि0मु0 इन्द्रानगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा के विरुद्ध पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 राम किशन यादव
2. का0 अंकुश पाल 3. कां0 सुनील कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

भूरा यादव पुत्र मठनू यादव उम्र 62 वर्ष नि0मु0 इन्द्रानगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा

बरामद सम्पत्तिः-

अभि0 के कब्जे से 350 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद होना।

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तारः-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं उनके निर्माण में प्रभावी रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 27.08.2023 को श्री उमेश कुशवाहा, प्रभारी निरीक्षक, थाना खन्ना द्वारा गठित की गयी व0उ0नि0 नरेश चन्द्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना खन्ना क्षेत्रअन्तर्गत ग्राम शराब ठेका के पास चेकिंग के दौरान 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.रामबहादुर निषाद पुत्र राम विशाल उर्फ विशाली निषाद निवासी ग्राम गुढ़ा थाना मौदहा जिला हमीरपुर 2.करन यादव पुत्र रामपाल यादव नि0 ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया, अभियुक्तों के कब्जे से क्रमशः 01 अदद तमन्चा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद कारतूस 12 बोर बरामद की गयी अभियुक्तों के कब्जे से बरामद 01 अदद मोटर साइकिल जिसको 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त से बरामद अवैध तमंचा एवं कारतूस के आधार पर थाना खन्ना में क्रमशः मु0अ0स0 87/23 व मु0अ0सं0 88/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों को सम्बन्धित मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त एवं उनके कब्जे से हुई बरामदगी का विवरणः-

1. रामबहादुर निषाद पुत्र राम विशाल उर्फ विशाली निषाद निवासी गुढ़ा थाना मौदहा जिला हमीरपुर (एक अदद तमंचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद)
2. करन यादव पुत्र रामपाल यादव निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा (एक अदद तमंचा 315 बोर व लोवर की जेब से एक अदद जिदा कारतूस 315 बोर)

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. व0उ0नि0 नरेश चन्द्र निगम
2. का0 नवीन कुमार 3. का0 हिमांशू पाल

जनपद में कानून एवं शाति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्ति-वस्तु व वाहनों की की गयी सघन चेकिंग, पैदल गस्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का दिलाया गया भरोसा।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एंव अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम के नेतृत्व में आज दिनांक 27.08.2023 को जनपद में चाक-चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ चौकी प्रभारी द्वारा मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं कालीन पैदल गश्त की जा रही है।

पैदल गश्त के दौरान जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई तथा अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों, दुकानदारों एवं अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा करने वाले लोगों से वार्ता कर शासन की मंशानुरुप उन्हें व्यवस्थित तरीका अपनाने के लिए दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश व आमजन को आश्वस्त कराया गया कि जनपद महोबा पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। संवेदनशील स्थानों में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग की गई साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन में वाहनों के ई-चालान किये गये।